निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण 1938 (श0)
(सं0 पटना 638) पटना, बुधवार, 3 अगस्त 2016

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
14 जुलाई 2016

सं0 1/आई0एम0एल0–06/2016श्र0सं0–3023——चूँकि बिहार सरकार का यह समाधान हो गया है कि अन्य राज्यों में तथा विदेशों में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों को,दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु, पूर्ण स्थायी अपंगता एवं स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में अनुदान की राशि का भुगतान उनके वैध आश्रितों अथवा दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को करने हेतु प्रावधान करना आवश्यक है। इस योजना के अधीन लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS पद्धति से, उनके बैंक खाता के माध्यम से किए जाने के उद्देश्य से "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करना आवश्यक है;

इसलिए अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार बिहार एतद् द्वारा बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 का संशोधन करने हेतु नियमावली बनाती है :–

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2016

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ :– यह नियमावली बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली, 2016 कही जा सकेगी।

(क) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(ख) यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2008 का नियम 5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"5.प्रवासी मजदूर की मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी एवं स्थायी आंशिक अपंगता के मामले में, न्यायनिर्णित आश्रितों अथवा प्रवासी मजदूर को अनुदान की राशि RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाता के माध्यम से देय होगी। यदि अंचलाधिकारी द्वारा घोषित आश्रितों के विरूद्ध कोई विवाद हो, तो जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील होगी, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

3. उक्त नियमावली 2008 के नियम 5 (क) एवं (ख) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएगेः–

"5 क प्रवासी मजदूर के पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में रू0. 75,000/– (पचहत्तर हजार) के अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाता में किया जाएगा।

5 ख प्रवासी मजदूर के स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में रू0. 37,500/– (सैतीस हजार पांच सौ) के अनुदान की राशि RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाता के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।

4. उक्त नियमावली, 2008 के नियम 7 के बाद क्रमशः निम्नलिखित नए नियम 7 क एवं 7 ख जोड़े जाएंगेः–

"7 क प्रवासी मजदूर को दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा–पत्र प्रपत्र–2 क के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएगेः–

I. मृतक के पहचान हेतु प्रमाण (इनमें से कोई एक)

(i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक (iv) राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) आवासीय प्रमाण पत्र (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।

II. उम्र का सबूतः (इनमें से कोई एक)

(i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) मनरेगा जॉब कार्ड (iv) वाहन चालन अनुज्ञप्ति (v) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।

III. बिहार राज्य के अधिवासी होने का प्रमाण (इनमें से कोई एक)।

(i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक (iv)राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) आवासीय प्रमाण पत्र (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।

IV. पुलिस स्टेशन को दुर्घटना के बारे में दी गई सूचना/प्राथमिकी या यदि पुलिस स्टेशन को सूचना देना विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित नहीं हो तो दुर्घटना के संबंध में मुखिया/वार्ड पार्षद द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

V. मृत्यु प्रमाण पत्र

VI. पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट

VII. आश्रित प्रमाण पत्र

7ख पूर्ण स्थायी अपंगता एवं स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में अनुदान प्राप्त करने हेतु दावा–पत्र प्रपत्र–2 क के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएगेः–

I. प्रवासी मजदूर के पहचान हेतु प्रमाण (इनमें से कोई एक)।

(i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक (iv) राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) वाहन चालन अनुज्ञप्ति (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।

II. उम्र का सबूतः (इनमें से कोई एक)।

(i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक
(iv) राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) वाहन चालन अनुज्ञप्ति (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।

III. बिहार राज्य के अधिवासी होने प्रमाण (इनमें से कोई एक)।

(i) मतदाता पहचान पत्र (ii) आधार कार्ड (iii) बैंक पासबुक
(iv) राशन कार्ड (v) मनरेगा जॉब कार्ड (vi) आवासीय प्रमाण पत्र (vii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज।

IV. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत निःशक्ता से संबंधित प्रमाण पत्र (सरकारी शल्य चिकित्सक)

5. उक्त नियमावली 2008 के नियम 9 का उप–नियम (ख) निम्नलिखित 9 (ख) जिला दंडाधिकारी, जैसी स्थिति हो, जाँच प्रतिवेदन की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दावा को मंजूरी देंगे। यदि दावा की मंजूरी दी जाती है तो उनके आश्रितों अथवा स्वयं प्रवासी मजदूर को, अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement)पद्धति से उनके बैंक खाता में किया जायेगा। दावा अस्वीकृत होने की स्थिति में, कारण सहित सूचना, यथासंभव शीघ्र जल्द से जल्द दावाकर्त्ता को भेजी जायेगी।

प्रपत्र–2 क

(तीन प्रतियों में)

बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजेना के लिए दावा–पत्र

(प्रखंड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला दंडाधिकारी को तीन प्रतियों में दिया जायेगा)*

1. (क) मृत व्यक्ति/अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता एवं स्थायी आंशिक अपंगता से पीड़ित प्रवासी मजदूर का नाम (बड़े अक्षरों में) :–
   (ख) पता–ग्राम.............................. पंचायत............................ थाना ....
   अंचल .... जिला ....
   (ग) बैंक खाता संख्या**..............................(घ) बैंक का नाम** ....
   (ङ) IFSC कोड** ....

2. दुर्घटना का विवरणः–

(क) तिथिः–..

(ख) समयः–..पूर्वाह्न /अपराह्न

(ग) स्थानः–..

(घ) प्रखंड विकास पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक/जिला दंडाधिकारी/पंचायत/शहरी निकाय को कब संसूचित किया गया था :–

(ङ) दुर्घटना का विस्तृत ब्यौराः–

(च) तिथि एवं समय :–

(छ) प्राथमिकी/सनहा/पंचनामा दर्ज करने की तिथिः–
(प्राथमिकी/सनहा/पंचनामा की प्रति संलग्न की जाए) :–

3. पूर्ण स्थायी एवं आंशिक स्थायी अपंगता से संबंधित प्रमाण पत्र :–
मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि उपर दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है।

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि सूचना गलत होने की स्थिति में मेरा दावा अविधिमान्य हो जाएगा।

---

*दावा पत्र की प्राप्ति रसीद दी जायेगी ओर दावा पत्र की एक हस्ताक्षरित प्रति आवेदक को आवेदन देने के समय दी जायेगी।
**एक से अधिक आश्रित की स्थिति में सभी आश्रितों का बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम तथा आई0 एफ0 एस0 सी0 (IFSC) कोड आवश्यक।

गवाह का नाम पता, एवं हस्ताक्षर

1..

2..

दावेदार का हस्ताक्षर

(जाँच पदाधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

(क) आश्रित के संबंध में मंतव्यः–

(ख) पूर्व स्थायी अपंगता एवं आंशिक स्थायी अपंगता/मृत्यु के कारण के संबंध में मंतव्यः–

(ग) दावा की जाँच की गयी। जाँच प्रतिवेदन संलग्न है। मैं अनुशंसा करता हूँ कि दावा की स्वीकृति/अस्वीकृति दी जा सकती है।

जाँच पदाधिकारी का हस्ताक्षर, पदनाम

प्रखंड विकास पदाधिकारी का हस्ताक्षर

(मुहर)

स्थानः–...

दिनांकः–..

जिला दंडाधिकारी का कार्यालय

इस दावे की जाँच पड़ताल .... (पदाधिकारी का नाम) द्वारा किया गया और उनका निष्कर्ष स्वीकार्य है। दावा स्वीकृत किया जाता है।

श्रम अधीक्षक
अथवा जिलादंडाधिकारी द्वारा
प्राधिकृत पदाधिकारी

जिलाधिकारी का हस्ताक्षर

(मुहर)

....

स्थानः–...

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 14th July 2016

No. 1/IML-06/2016LR–3023—whereas the Government of Bihar is satisfied that it is necessary to provide for making payment of amount of grant to the domicile migrant labourers working in unorganized sector in other State and Abroad in the event of their death, to their legal heir or to the victims of accident in case of permanent and partial disability on account of an accident. For the purpose of making payment of amount of grant to the beneficiary through bank account by RTGS method under this scheme. It is necessary to amend The Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme Rule, 2008 (as amended from time to time) ;

Now, therefore in exercise of the power conferred by Article 39 (a) of the constitution of India, the State Government of Bihar is hereby please to make the following Rules to amend The Bihar State Migrant Labour Accident Grant Scheme Rule, 2008.

Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme (Amendment) Rules, 2016

1. Short title, extent & commencement - These rules may be called the Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme (Amendment) Rules, 2016

a) It shall extend to the whole of the State of Bihar

b) It shall come into force from the date of issue of the notification

2. Rule 5 of The said Rules, 2008 shall be substituted by the following:-

" 5. In case of death, Partial disability or Permanent disability of a migrant labourer, Amount of grant shall be paid by Real Time Gross Settlement (RTGS) method to the adjudged dependent or to the migrant labourer. If there is any dispute against the dependents declared by the Circle Officer, an appeal shall lie before to the District Magistrate whose decision shall be final.

3. The Rule 5 *(a)* and *(b)* of the said Rules, 2008 shall be substituted by the following respectively:-

5 A In case of Permanent disability of migrant labour, a amount of grant of Rs 75,000/- (Seventy five thousand) shall be paid in his Bank Account by Real time gross settlement (RTGS) method.

5 B In case of Partial disability of migrant labour, a amount of grant of Rs 37,500/- (Thirty seven thousand five hundred) shall be paid in his Bank Account by Real time gross settlement (RTGS) Method.

4. The following new Rule 7A and 7B shall be added after Rule 7 respectively:-

"7A The following documents shall be annexed along with claim form 2 A in case of accidental death of migrant labour :-

(I)For the identification of deceased (any one of these)

(i) EPIC card (ii) Aadhar card (iii) Bank Pass book (iv) Ration card (v) MNREGA job card (vi) Residential certificate (vii) Any other document issued by the Central or State Government.

(II) For age proof (any one of these)

(i) EPIC card (ii) Aadhar card (iii) MNREGA job card (iv) Driving license (v) Any other document issued by the Central or State Government .

(III) Certificate to be domicile of the State of Bihar (any one of these)

(i) EPIC (ii) Aadhar card (iii) Bank Passbook (iv) Ration card (v) MNREGA Job card (vi) Residence certificate (vii) Any other document issued by the Central or State Government.

(IV) Information given to the policeabout accident or First Information Report (FIR) or if it is not necessary to inform police station under the provisions of law then in that case certificate regarding accident issued by Mukhiya / Ward Parsad.

(V) Death certificate

(VI) Post Morterm Report

(VII) Certificate of Dependents

7B The following document shall be annexed alongwith claim form 2 A in case of permanent or partial disability.

(I) For the identification of Migrant labour (any one of these)

(i) EPIC (ii) Aadhar card (iii) Bank Passbook (iv) Ration card (v) MNREGA Job card (vi) Driving license (vii) Any other document issued by the Central or State Government.

(II) For Age proof (any one of these)

(i) EPIC (ii) Aadhar card (iii) Bank Passbook (iv) Ration card (v) MNREGA Job card (vi) Driving license (vii) Any other document issued by the Central or State Government.

(III) Certificate to be domicile of The State of Bihar (any one of these)

(i) EPIC (ii) Aadhar card (iii) Bank Passbook (iv) Ration card (v) MNREGA Job card (iv) Residential certificate (vii) Any other document issued by the Central or State Government.

(IV) Certificate regarding disablement issued by the Competent Authority (Government Civil Surgeon)

6. Sub-rule (b) of the rule 9 of the said Rules, 2008 shall be substituted by the following:-

"(b) The District Magistrate shall sanction the claim within 30 days of the receipt of the enquiry report, as the case may be. In case the claim is sanctioned, the payment of the amount of grant shall be made by Real time gross settlement (RTGS) method in their bank accounts to their dependents or ot the Migrant Labourer. In case, the claim is rejected, an information to this effect with reasons shall be sent to the claimant as soon as possible .

Form - 2 A
(in Triplicate)

Claim form for Bihar State Migrant Labour Accident Grants Scheme (To be submitted in Triplicate to BDO / Labour Superintendent /District Magistrate*)

1 (a) Name of the deceased / person suffering from permanent or partial disability (in capital letters…………………………………………)
(b) Address - village …………………… Panchayat …………………
Thana………………………….. Block …………………………….
District………………………….
(c) Bank Account Number **………………………………………….
(d) Name of the Bank** ………………………………………………
(e) IFSC code**……………………………………………………….

2. Detail of accident
(a) Date …………………………………………
(b) Time …………………………………………am / pm
(c) Place……………………………………….
(d) When was B.D.O / Labour Superintendent / DM /Panchayat / Urban local bodies informed ……………………………………………..
(e) Detail description of Accident …………………………………….
(f) Date and Time ……………………………………………………..
(g) Date on which FIR / Panchnama / Sanha was filed ………………

3. Certificate regarding Permanent or Partial Disability
I declare that the above information is correct to the best of my knowledge.
I declare that if any information is found incorrect, my claim shall be deemed illegal.

Name, Address and Signature of the witness
1…………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………

Signature of the claimants

(To be filled by the Inspecting Officer)
(a) Opinion about dependents:-
(b) Opinion regarding death / partial / permanent disability
(c) The claim was enquired. The enquiry report is enclosed. I recommend that the claim may be sanctioned / rejected .

Name & Signature of the Enquiry Officer (with Designation)

Name and Signature of the BDO (Seal)

Place ……………………..
Date ……………………..

Office of the District Magistrate

The claim was enquired by …………………………….. (Name of the Officer) and his findings are acceptable. The claim is sanctioned / rejected.

Labour Superintendent
or
an officer authorized
by the District Magistrate

Signature of District Magistrate
(Seal)

---

*The receipt of the claim form shall be acknowleged and one signed copy of the form shall be given to the applicant in time of the receipt.
**In case of more than one dependent, Bank account, IFSC code, Bank Name of all the dependents.

....

By order of the Governor of Bihar,
Sd/Illegible,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 638-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in